

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	राज्य के सभी विद्यालयों में 'राजस्थानी भाषा अनिवार्य'
2.	'एक जिला एक उत्पाद नीति' के तहत 5 जिलों में नवीन परियोजनाएँ स्वीकृत
3.	RIICO की प्रत्यक्ष आवंटन योजना
4.	'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' में राजस्थान का स्थान
5.	राजस्थान राज्य ब्रॉडबैंड समिति की 17वीं बैठक
6.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. राज्य के 2 विश्वविद्यालयों में नये कुलगुरु की नियुक्ति 2. वंदना शर्मा का अंतरराष्ट्रीय कुराश प्रतियोगिता में चयन 3. ऋषभ डागा : राजस्थान के सबसे युवा आयरनमैन
7.	मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) टोलिंग प्रणाली
8.	प्रमुख श्रम-बल संकेतक
9.	म्यूल खाते (mule accounts)
10.	भारत में ग्रामीण विकास
11.	CBI निदेशक चयन समिति
12.	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)
13.	विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) [VB-G RAM G] अधिनियम, 2025
14.	समग्र शिक्षा एवं पीएम पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण)
15.	भारत के कूटनीतिक संबंधों को मार्गदर्शित करने वाले पांच मुख्य सिद्धांत
16.	वैश्विक वन लक्ष्य (GFG) रिपोर्ट 2026



राजस्थान परिदृश्य



राज्य के सभी विद्यालयों में 'राजस्थानी भाषा अनिवार्य'



चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में राजस्थानी भाषा को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने के लिए एक व्यापक और समयबद्ध नीति बनाने का निर्देश दिया।



मुख्य बिन्दु:

- समय सीमा :** सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने राजस्थान सरकार को 30 सितंबर, 2026 तक इस आदेश पर की गई कार्रवाई की विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

Daily Current Affairs

Date : 14 May, 2026



- राज्य सरकार का यह तर्क कि केवल संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं को ही विद्यालयों में पढ़ाया जा सकता है, को न्यायालय ने खारिज कर दिया।
- सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) - 2020 और संविधान के अनुच्छेद 350A (मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार) के अनुरूप है।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु:

- **विधानसभा से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित** : राजस्थानी भाषा को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए राजस्थान विधानसभा द्वारा 25 अगस्त, 2003 को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा गया था।
- **महापात्रा समिति की सिफारिश** : केंद्र सरकार द्वारा भाषाविद् एस. महापात्रा की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट में राजस्थानी भाषा को बेहद समृद्ध माना और इसे आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए पूरी तरह पात्र घोषित किया।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार - 2024	मुकुट मणिराज (कोटा)	कृति - गाँव अर अम्मा।
राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार - 2025	जितेंद्र कुमार सोनी (IAS)	कृति - भरखमा (कहानियाँ)

--3--

'एक जिला एक उत्पाद नीति' के तहत 5 जिलों में नवीन परियोजनाएँ स्वीकृत

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, राजस्थान के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली पाँच गौरव कार्यक्रम की राज्य स्तरीय समिति ने पाँच जिलों में कुल ₹18.19 करोड़ की लागत से स्थापित होने वाली 5 नवीन परियोजनाओं को स्वीकृति दी।



#OneDistrictOneProduct



RAJASTHAN'S

One District One Product (ODOP) Policy

transforms each district into a hub for its unique products and crafts, offering valuable benefits for investors and entrepreneurs



Enjoy several fiscal incentives and credit support for new ODOP MSMEs



Receive skill-based training tailored for ODOP products



Access innovation, technology upgrades, digitization, and product design support



Boost sales through strategic marketing and branding



Benefit from best-in-class infrastructure through a cluster-based approach



Receive support to expand exports and increase the number of exporters

--:4:--

Daily Current Affairs

Date : 14 May, 2026



मुख्य बिन्दु:

- चयनित 5 ज़िलों; दौसा, चूरू, डीडवाना-कुचामन, फलौदी और बालोतरा में कॉमन फैसिलिटी सेंटर, टेस्टिंग लैब और भंडारण के लिए सुविधाएँ विकसित की जाएंगी।

ज़िलेवार परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी :

ज़िला	परियोजना
बालोतरा	वस्त्र उत्पादों में आधुनिक तकनीक से डिजाइन आदि कार्यों के लिए ₹5 करोड़ रुपये की लागत से 'टैक्सटाइल डिजिटल प्रिंटिंग कॉमन फैसिलिटी सेंटर' की स्थापना।
चूरू	लकड़ी से संबंधित उत्पादों की टेस्टिंग और सीजनिंग के लिए ₹2.5 करोड़ की लागत से 'कॉमन बीआईएस टेस्टिंग लैब और सीजनिंग सुविधा' की स्थापना। इससे हस्तशिल्प उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होने से अंतरराष्ट्रीय बाजार अनुकूल उत्पाद तैयार हो सकेंगे।
दौसा	पत्थर आधारित उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के लिए ₹3.30 करोड़ की लागत से 'टेक्नोलॉजी फैसिलिटेशन सेंटर' की स्थापना। इससे स्टोन आधारित उत्पादों में आधुनिक कटिंग, डिजाइन और फिनिशिंग में सुधार होगा।
डीडवाना-कुचामन	स्टोन प्रोसेसिंग के लिए ₹5.05 करोड़ की लागत से 'CNC मशीन टेक्नोलॉजी सेंटर' की स्थापना।
फलौदी	सोनामुखी के लिए ₹2.35 करोड़ की लागत से 'कॉमन क्लाइमेट-कंट्रोल्ड वेयरहाउसिंग फैसिलिटी' की स्थापना। इससे सोनामुखी लंबे समय तक खराब नहीं होगी।

--5--

Daily Current Affairs

Date : 14 May, 2026



फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

एक जिला एक उत्पाद नीति - 2024

- राज्य के विशिष्ट उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए सभी 41 जिलों में एक-एक उत्पाद की पहचान कर 'एक जिला एक उत्पाद नीति-2024' की शुरुआत की गई है।
- संबंधित विभाग : उद्योग एवं वाणिज्य विभाग (राजस्थान सरकार)
- नीति का शुभारंभ : दिसंबर, 2024
- वैधता : 31 मार्च, 2029 तक वैध।
- इसके तहत राज्य सरकार द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

प्रोत्साहन :

क्र. सं.	प्रोत्साहन	वित्तीय सहायता
1.	मार्जिन मनी सहायता	₹20 लाख तक।
2.	एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर	₹5 लाख तक।
3.	क्वालिटी सर्टिफिकेशन और आईपीआर	₹3 लाख तक।
4.	विपणन आयोजनों में भाग लेने के लिए	₹2 लाख तक।
5.	ई-कॉमर्स वेबसाइट विकास के लिए	₹75 हजार तक

--6--

RIICO की प्रत्यक्ष आवंटन योजना



चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, रीको द्वारा 'प्रत्यक्ष आवंटन योजना' के तहत भीलवाड़ा के टैक्सटाइल पार्क रूपाहेली में 1500 वर्गमीटर से 36,000 वर्गमीटर तक के औद्योगिक भूखण्ड उपलब्ध करवाने की अधिसूचना जारी की गई।



मुख्य बिन्दु:

- यह सुविधा केवल उन निवेशकों के लिए है जिन्होंने 'राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024' के अंतर्गत राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- RIICO द्वारा प्रदान किए जाने वाले औद्योगिक भूखण्ड पर टैक्सटाइल पार्क, कॉटन एवं नेचुरल फाइबर, मैन मेड फाइबर, गारमेंट एवं रेडीमेड वस्त्र, टेक्निकल टैक्सटाइल, हैंडलूम एवं हैंडीक्राफ्ट, वूल प्रोसेसिंग तथा टैक्सटाइल एसेसरीज से संबंधित उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं।

--7--

अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु:

- **रूपाहेली टैक्सटाइल पार्क** : रूपाहेली टैक्सटाइल पार्क भीलवाड़ा जिले की हुरडा तहसील में स्थापित किया गया है।
- इस पार्क में स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग एवं रेडीमेड गारमेंट इकाइयों को सभी आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी।
- **विस्तार** : लगभग 209 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किये गये इस पार्क में 500 वर्गमीटर से 1,25,000 वर्गमीटर तक के कुल 275 औद्योगिक भूखण्ड नियोजित किये गये हैं।
- 'राजस्थान टैक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी-2025' के अंतर्गत आने वाली टैक्सटाइल इकाइयाँ यहाँ निवेश कर अपना उद्यम स्थापित कर सकती हैं।
- राजस्थान सरकार की इस महत्वाकांक्षी पहल का उद्देश्य राज्य को देश का प्रमुख टैक्सटाइल मैनुफैक्चरिंग एवं एक्सपोर्ट हब बनाना है।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

RIICO की प्रत्यक्ष आवंटन योजना

- **योजना लागू तिथि** : 14 मार्च, 2025
- **योजना प्रभावी तिथि** : 31 दिसम्बर, 2026 तक।
- **उद्देश्य** : निवेशकों, जिनके द्वारा राइजिंग राजस्थान-ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) निष्पादित किये गये हैं, को सीधे औद्योगिक भूमि उपलब्ध करवाना।
- **पात्रता** : ऐसे निवेशक जिनके द्वारा प्रत्यक्ष आवंटन योजना में अमानत राशि जमा करवाये जाने की अंतिम दिनांक तक, MoU निष्पादित किया गया है, वे इस योजना में भाग लेने के पात्र हैं। एक MoU पर केवल एक ही भूखण्ड का आवंटन प्राप्त किया जा सकता है।

'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' में राजस्थान का स्थान

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' के चतुर्थ चरण का शुभारंभ किया।



मुख्य बिन्दु:

- इस दौरान PMGSY के अंतर्गत विगत 25 वर्षों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया।
- सर्वाधिक सड़क लंबाई पूर्ण करने की श्रेणी में : राजस्थान (75,868 किमी) को द्वितीय पुरस्कार।
- गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन की श्रेणी में : राजस्थान एवं तमिलनाडु को संयुक्त रूप से द्वितीय पुरस्कार।

- गौरतलब है कि राजस्थान में PMGS योजना के अंतर्गत 75,868 किलोमीटर सड़क के 18,131 कार्य हो चुके हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का बड़ा नेटवर्क विकसित हुआ है।

PMGSY के चतुर्थ चरण में राजस्थान :

- राजस्थान के मरुस्थलीय और दूरस्थ गाँवों को चतुर्थ चरण में देशभर में अब तक स्वीकृत 4,795 सड़कों में से 1,216 सड़कों की स्वीकृति मिली, जो संख्या की दृष्टि से अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है।
- केन्द्र सरकार ने योजना के चौथे चरण के तहत वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान देशभर में 62,500 किलोमीटर सड़क निर्माण के लक्ष्य के साथ कुल ₹70,125 करोड़ का प्रावधान किया है।
- इस चरण में वर्ष 2011 की जनसंख्या के मानदंडों के आधार पर ग्रामीण बस्तियों को ऑल वेदर सड़क संपर्क प्रदान किया जाएगा, जो अभी तक सड़क संपर्क से वंचित थी।
- इसमें विशेष श्रेणी के क्षेत्रों - जनजातीय (पांचवीं अनुसूची) क्षेत्र, आकांक्षी जिले और ब्लॉक तथा मरुस्थलीय क्षेत्र पर फोकस रखा गया है।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)

- शुरुआत : 25 दिसंबर, 2000
- संबंधित मंत्रालय : ग्रामीण विकास मंत्रालय।
- मुख्य उद्देश्य : ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित पात्र और असंबद्ध बस्तियों को ऑल वेदर पक्की सड़कों से जोड़ना।

Daily Current Affairs

Date : 14 May, 2026



योजना के चरण :


चरण	प्रारंभ वर्ष/अवधि	मुख्य फोकस क्षेत्र
PMGSY-I	2000	असंबद्ध ग्रामीण बस्तियों को एकल ऑल वेदर सड़क संपर्क प्रदान करना।
PMGSY-II	2013	ग्रामीण संपर्क क्षमता बढ़ाने के लिए मौजूदा 50,000 किमी. ग्रामीण सड़कों का उन्नयन करना।
PMGSY-III	2019 - मार्च, 2028 तक।	ग्रामीण कृषि बाजारों (GrAMs), उच्च माध्यमिक स्कूलों और अस्पतालों को जोड़ने वाले मार्गों का सुदृढीकरण। इस चरण को हाल ही में मार्च, 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई।
PMGSY-IV	2024-25 से 2028-29 तक	केंद्रीय बजट में घोषित इस नवीनतम चरण के तहत ₹70,125 करोड़ के परिव्यय से 25,000 बस्तियों को जोड़ने के लिए 62,500 किमी नई सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।

-:11:-

राजस्थान राज्य ब्रॉडबैंड समिति की 17वीं बैठक


चर्चा में क्यों?

- जयपुर में राजस्थान राज्य ब्रॉडबैंड समिति की 17वीं बैठक 13 मई, 2026 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित की गई।




सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

राज्य ब्रॉडबैंड समिति की 17वीं बैठक



- मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी गाँवों में ब्रॉडबैंड कवरेज सुनिश्चित करने के लिए निर्देश
- राज्य में डिजिटल कनेक्टिविटी विस्तार को मिलेगी नई गति, समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए निर्देश



मुख्य बिन्दु:

- इस उच्च स्तरीय बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य में दूरसंचार अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना और डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करना है।

--:12:--

Daily Current Affairs

Date : 14 May, 2026



- सशक्त दूरसंचार नेटवर्क विकसित राजस्थान@2047 के विजन को साकार करने का महत्त्वपूर्ण आधार है।
- दूरसंचार राइट ऑफ वे (RoW) नियम, 2024 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्यों को वित्तीय वर्ष 2026-27 में वित्त मंत्रालय द्वारा विशेष सहायता योजना के अंतर्गत राजस्थान को ₹150 करोड़ तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का प्रावधान है।
- राज्य सरकार द्वारा विकसित नई ऑनलाइन स्टेट RoW (Right of Way) पोर्टल व्यवस्था को केंद्रीय पोर्टल से एकीकृत किया गया है, जिससे मंजूरी की प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

-:13:-

✂ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़
1.	<p>राज्य के 2 विश्वविद्यालयों में नये कुलगुरु की नियुक्ति</p> <ul style="list-style-type: none">हाल ही में, राजस्थान के राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे ने आदेश जारी कर प्रो. कैलाश डागा को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के कुलगुरु पद पर और प्रो. मदन सिंह राठौड़ को महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर के कुलगुरु पद पर नियुक्त किया।कुलगुरु पद पर यह नियुक्ति कार्यभार संभालने की तिथि से 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक (जो भी पहले) के लिए की गई है।
2.	<p>वंदना शर्मा का अंतरराष्ट्रीय कुराश प्रतियोगिता में चयन</p> <ul style="list-style-type: none">श्रीगंगानगर निवासी वंदना शर्मा 15वीं एशियन कुराश चैंपियनशिप - 2026 में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेगी।15वीं एशियाई सीनियर कुराश चैंपियनशिप का आयोजन ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में 11 से 15 जून, 2026 तक किया जाएगा।
3.	<p>ऋषभ डागा : राजस्थान के सबसे युवा आयरनमैन</p> <ul style="list-style-type: none">जयपुर के 18 वर्षीय ऋषभ डागा वियतनाम के दा नांग में आयोजित फुल 'आयरनमैन वियतनाम' प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक पूरा कर राजस्थान के सबसे युवा आयरनमैन बने।उन्होंने 13 घंटे 46 मिनट में 3.8 किमी तैराकी, 180 किमी साइक्लिंग और 42.2 किमी मैराथन पूरी की।

आर्थिक घटनाक्रम

मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) टोलिंग प्रणाली

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अर्बन एक्सटेंशन रोड-II के एक हिस्से में MLFF टोलिंग प्रणाली का शुभारंभ किया।



मुख्य बिन्दु:

MLFF टोलिंग

- यह प्रणाली ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) तकनीक को FASTag आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन के साथ जोड़ती है, जिससे कम से कम इंसानी हस्तक्षेप के साथ टोल शुल्क की वसूली स्वचालित रूप से हो सके।
- कार्यान्वयन:** भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा।

प्रमुख श्रम-बल संकेतक

चर्चा में क्यों?

- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के त्रैमासिक बुलेटिन (जनवरी-मार्च 2026) के अनुमानों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर (UR) में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित वेतन भोगी कर्मचारियों में वृद्धि देखी गई है।

PERIODIC LABOUR FORCE SURVEY



मुख्य बिन्दु:

- द्वितीयक और तृतीयक, दोनों क्षेत्रों में ग्रामीण रोजगार में वृद्धि दर्ज की गई है।

प्रमुख श्रम-बल संकेतक

- श्रम बल भागीदारी दर (LFPR): 55.5%।
- LFPR, जनसंख्या में श्रम बल (यानी काम करने वाले या काम की तलाश में या काम के लिए उपलब्ध) में शामिल व्यक्तियों का प्रतिशत होता है।
- श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR): 52.8%।
- WPR, जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिशत है।
- बेरोजगारी दर (UR): शहरी क्षेत्रों में 6.6% रही।
- बेरोजगारी दर, श्रम बल में शामिल व्यक्तियों में से बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत है।

म्यूल खाते (mule accounts)

चर्चा में क्यों?

- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने म्यूल खातों पर अंकुश लगाने के लिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।



मुख्य बिन्दु:

म्यूल खाता

- म्यूल खाते वे बैंक खाते होते हैं जिनका उपयोग साइबर अपराधियों द्वारा साइबर धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त धन को अवैध रूप से स्थानांतरित करने या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जाता है।
- ये खाते प्रायः फर्जी पहचान का उपयोग करके या अनजान व्यक्तियों का लाभ उठाकर खोले जाते हैं।
- इसका उपयोग वास्तविक लाभार्थी को छिपाने और डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी में भ्रम की कई परतें बनाने के लिए किया जाता है।
- म्यूल खातों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए एक AI-आधारित प्रणाली, MuleHunter.AI, को 2024 में RBI द्वारा शुरू किया गया।

भारत में ग्रामीण विकास

चर्चा में क्यों?

- भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD) ने 2026-2033 के लिए एक नया आठ वर्षीय देश रणनीतिक अवसर कार्यक्रम (COSOP) शुरू किया है।

मुख्य बिन्दु:

- **उद्देश्य:** भारत भर में ग्रामीण आय को मजबूत करना, लचीलापन बढ़ाना और स्थायी आजीविका के अवसरों का विस्तार करना।
- यह दो प्रमुख प्राथमिकताओं पर केंद्रित है: ग्रामीण समुदायों की सामाजिक, आर्थिक और जलवायु संबंधी लचीलेपन को बढ़ाना और भारत और वैश्विक दक्षिण के अन्य देशों में सफल विकास मॉडलों को बड़े पैमाने पर लागू करने के लिए ज्ञान प्रणालियों को मजबूत करना।
- **प्रमुख उद्देश्य:** स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों और सहकारी समितियों सहित जमीनी स्तर की संस्थाओं को मजबूत करना।

अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD)

- 1974 के विश्व खाद्य सम्मेलन के बाद 1977 में IFAD की स्थापना हुई थी।
- इसका निर्माण खाद्य संकट और ग्रामीण गरीबी, विशेष रूप से विकासशील देशों में, के बारे में वैश्विक चिंताओं के जवाब में किया गया था।
- **मुख्यालय:** रोम
- भारत IFAD का संस्थापक सदस्य है।

भारत में ग्रामीण विकास

- विकास के विशुद्ध रूप से सरकार-नेतृत्व वाले मॉडल से धीरे-धीरे हटकर अधिक समुदाय-संचालित, विकेंद्रीकृत दृष्टिकोणों की ओर बदलाव हो रहा है।

Daily Current Affairs


Date : 14 May, 2026



- स्थानीय सरकारों और जमीनी स्तर की संस्थाओं को विकास पहलों की योजना बनाने, उन्हें लागू करने और उनकी निगरानी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोगों के रूप में तेजी से मान्यता मिल रही है।

प्रमुख घटनाक्रम:

- ग्रामीण विकास बजट आवंटन में 211% से अधिक की वृद्धि हुई है, जो 2016-17 में 87,765 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-27 में 2.73 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
- गरीबी में उल्लेखनीय कमी आई है, अत्यधिक गरीबी 5.3% (2022-23) पर है, जो वैश्विक औसत से कम है, और बहुआयामी गरीबी घटकर 11.28% हो गई है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क लगभग सार्वभौमिक हो गया है, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए बजटीय आवंटन में 2017 से 51% की वृद्धि हुई है।



--:19:--


राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस

- भारत में पंचायती राज प्रणाली की स्थापना के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है , जब संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 लागू हुआ था।
- यह जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के महत्त्व को बढ़ावा देता है, स्थानीय शासन को मजबूत करता है और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने में मदद करता है।


सरकारी पहल

- **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण):** इसे 2014 में पूरे देश में अक्टूबर, 2019 तक खुले में शौच मुक्त (ODF) स्थिति प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था, और 2019-20 तक सभी जिलों को ODF घोषित कर दिया गया था ।
- 31 दिसंबर, 2025 तक, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आने वाले 96 प्रतिशत से अधिक गांवों ने खुले में शौच मुक्त (ODF प्लस) का दर्जा प्राप्त कर लिया है।
- एक ओडीएफ प्लस गांव को ऐसे गांव के रूप में परिभाषित किया जाता है जो अपनी ODF स्थिति को बनाए रखता है, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करता है और देखने में स्वच्छ रहता है।
- **प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (SAUBHAGYA):** इसे 2017 में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन प्रदान करके सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था।
- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का उद्देश्य पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्के मकान उपलब्ध कराकर 2029 तक सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करना है ।


- वर्ष 2000 में शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य पात्र और बिना संपर्क वाले बस्तियों को हर मौसम में सड़क संपर्क प्रदान करना था।



- ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी आधारित सेवा वितरण: डिजिटलीकरण ग्रामीण भारत में समावेशी और कुशल सेवा वितरण के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरा है।



- दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM): इसे 2010 में पूर्ववर्ती स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) का पुनर्गठन करके शुरू किया गया था, इस पहल का नाम 2016 में बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) कर दिया गया।



- **दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना:** यह मांग-आधारित कौशल प्रशिक्षण है जो सुनिश्चित प्लेसमेंट से जुड़ा है, और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा अनिवार्य तृतीय-पक्ष प्रमाणन के माध्यम से गुणवत्ता और उद्योग प्रासंगिकता सुनिश्चित की जाती है।
- **ग्रामीण भारत में महिलाओं के लिए उद्यमिता के मार्ग:** विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल सेवाएं और कृषि-प्रसंस्करण जैसे उभरते क्षेत्रों के साथ कौशल विकास पहलों को संरेखित करने से महिलाओं के लिए आर्थिक अवसरों का विस्तार होता है।
- 'बैंक टू वर्क' और 'रिटर्नशिप प्रोग्राम' सहित पूरक उपाय कार्यबल में पुनः प्रवेश को सुगम बनाते हैं।

भारतीय शासन एवं राजव्यवस्था

CBI निदेशक चयन समिति

चर्चा में क्यों?

- विपक्ष के नेता ने CBI के अगले निदेशक के चयन पर अपनी असहमति दर्ज की है।



मुख्य बिन्दु:

CBI निदेशक चयन समिति

- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (DPSE) अधिनियम, 1946 की धारा 4A के अनुसार, CBI निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा 3-सदस्यीय समिति की सिफारिश के आधार पर की जाएगी। इस समिति में शामिल हैं:
 - प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)
 - भारत के मुख्य न्यायाधीश (या उनके द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश)
 - लोकसभा में विपक्ष के नेता (या लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता)।
- कार्यकाल:** 2 वर्ष, जिसे 3 और वर्षों तक (एक बार में 1 वर्ष) बढ़ाया जा सकता है।

समाजशास्त्र

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)

चर्चा में क्यों?

- एक हालिया अध्ययन में पाया गया है कि NSAP के तहत ₹200-500 की केन्द्रीय वृद्धावस्था पेंशन सहायता राशि मुद्रास्फीति के कारण समय के साथ काफी कम हो गई है।



मुख्य बिन्दु:

- अध्ययन में केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की तर्ज पर एक राष्ट्रीय न्यूनतम पेंशन (NFP) की सिफारिश की गई है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP), 1995

- इसके तहत, निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगजनों और शोक संतप्त परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान की जाती है।
- यह कमजोर समूहों की सामाजिक सुरक्षा, गरिमा और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है।

Daily Current Affairs

Date : 14 May, 2026



- केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- यह राज्य की नीति के निदेशक तत्वों (DPSPs) के तहत अनुच्छेद-41 पर आधारित है।

कार्यक्रम में शामिल प्रमुख योजनाएँ:

- राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS)
- राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS)
- राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना (IGNDPS)
- राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (NFBS)
- अन्नपूर्णा योजना
- यह कार्यक्रम राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

--:26:--

योजनाएँ एवं नीतियाँ

विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) [VB-G RAM G] अधिनियम, 2025

चर्चा में क्यों?

- यह अधिनियम 1 जुलाई, 2026 से लागू होगा तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), 2005 को निरस्त माना जाएगा।

VIKSIT BHARAT-GUARANTEEE FOR ROZGAR AND AJEEVIKA MISSION (GRAMIN) (VB-G RAM G) BILL, 2025



मुख्य बिन्दु:

- मनरेगा से 'विकसित भारत- जी राम जी' योजना में सुगम परिवर्तन सुनिश्चित करने हेतु, वर्तमान e-KYC सत्यापित मनरेगा जॉब कार्ड तब तक मान्य रहेंगे जब तक ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी नहीं कर दिए जाते।

--:27:--

विकसित भारत- जी राम जी (VB-G RAM G) अधिनियम के मुख्य प्रावधान

- **विकसित भारत @2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप:** यह अधिनियम समेकित ग्रामीण विकास एवं टिकाऊ परिसंपत्ति निर्माण पर बल देता है।
- **विषय आधारित सार्वजनिक कार्य:** इसमें चार क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है; जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण अवसंरचना निर्माण, आजीविका से संबंधित परिसंपत्ति निर्माण, और चरम मौसम की घटनाओं के जोखिमों को कम करना।
- **प्रौद्योगिकी आधारित शासन:** इनमें कार्य स्थल पर उपस्थिति के लिए चेहरा सत्यापन, कार्य स्थल की निगरानी के लिए GIS, AI आधारित विश्लेषण, रियल-टाइम डैशबोर्ड, और बैंक खाते में प्रत्यक्ष भुगतान करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) व्यवस्था का उपयोग शामिल हैं।
- **भागीदारी आधारित योजना निर्माण:** इस अधिनियम का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर तैयार "विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं" पर आधारित होगा। इन्हें विकसित भारत-राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक में समेकित किया जाएगा।

प्रमुख सांविधिक प्रावधान

- **केंद्र प्रायोजित योजना:** केंद्र और राज्यों के बीच साझा जिम्मेदारियाँ होंगी।
- **गारंटी-युक्त कार्यदिवसों में वृद्धि:** प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष में 125 दिवसों का मजदूरी आधारित गारंटीशुदा अकुशल रोजगार देने का विधिक प्रावधान किया गया है।
- **शीघ्र भुगतान और दंड:** मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक अथवा मस्टर रोल बंद होने के 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। भुगतान में विलंब होने पर प्रतिदिन बकाया मजदूरी की 0.05% की दर से प्रतिपूर्ति देय होगी।
- **बेरोजगारी भत्ता:** यदि कार्य मांगने के 15 दिवसों के भीतर रोजगार नहीं दिया जाता है, तो प्रथम 30 दिवसों के लिए अधिसूचित मजदूरी का एक-चौथाई तथा उसके बाद आधा बेरोजगारी भत्ता देना अनिवार्य होगा।

Daily Current Affairs

Date : 14 May, 2026



- **कृषि मौसम के साथ संतुलन:** कृषि कार्यों के लिए मजदूरों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को बुआई/कटाई के चरम सीजन के दौरान 60 दिनों तक कार्य स्थगन की अधिसूचना जारी करने का अधिकार दिया गया है।

 विशेषता	 मनरेगा	 विकसित भारत- जी राम जी अधिनियम
रोजगार गारंटी	100 दिवसों की	125 दिवसों की
मूल उद्देश्य	मजदूरी आधारित रोजगार	रोजगार + आजीविका + परिसंपत्ति निर्माण + जलवायु अनुकूलन
कृषि मौसम के साथ संतुलन	कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं	चरम कृषि मौसम के दौरान कार्य स्थगन की अनुमति
वित्तपोषण की जिम्मेदारी	केंद्र सरकार अकुशल मजदूरी की लागत वहन करती थी जबकि राज्य सरकारें बेरोजगारी भत्ता की लागत वहन करती थीं।	मजदूरी भुगतान में राज्यों की साझेदारी: पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 अनुपात में; अन्य राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 60:40 अनुपात में; बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% वित्तपोषण केंद्र सरकार द्वारा।

--:29:--

समग्र शिक्षा एवं पीएम पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण)

चर्चा में क्यों?

- केंद्र सरकार ने दो प्रमुख योजनाओं, समग्र शिक्षा और पीएम पोषण को 30 सितंबर, 2026 तक अस्थायी विस्तार दिया।

मुख्य बिन्दु:

समग्र शिक्षा

- उद्देश्य: प्री-स्कूल से 12वीं कक्षा

तक को शामिल करने वाली स्कूली शिक्षा के लिए एकीकृत योजना।

- इसमें पूर्ववर्ती सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा योजना को समाहित किया गया है।
- इसे वर्ष 2018 में शुरू किया गया।
- संबंधित मंत्रालय: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय।

पीएम पोषण (पूर्व में मध्याह्न भोजन योजना)

- योजना का प्रकार: केंद्र प्रायोजित योजना।
- संबंधित मंत्रालय: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय।
- उद्देश्य: सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्री-प्राइमरी और कक्षा-1 से कक्षा 8 तक पढ़ने वाले सभी बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना।





अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य



भारत के कूटनीतिक संबंधों को मार्गदर्शित करने वाले पांच मुख्य सिद्धांत



चर्चा में क्यों?

- भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय संघर्षों और आर्थिक पुनर्संरचना की वजह से बदलती वैश्विक व्यवस्था के बीच भारत की कूटनीति को पांच प्रमुख रणनीतिक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए।



मुख्य बिन्दु:

भारत के कूटनीतिक संबंधों के पांच मुख्य सिद्धांत:

- **पारस्परिकता (Reciprocity):** भारत की विदेश नीति अपने रणनीतिक भागीदारों के साथ आपसी सहयोग और विश्वास पर आधारित होनी चाहिए।
- **उदाहरण:** वर्तमान अमेरिका-ईरान संघर्ष के बावजूद, भारत के प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का दौरा कर रहे हैं। गौरतलब है कि UAE ने कश्मीर और आतंकवाद के खिलाफ जैसे मुद्दों पर लगातार भारत का समर्थन किया है।
- **विविधीकरण (Diversification):** भारत को रणनीतिक मामलों में या उत्पादों के लिए कुछ विशेष देशों पर अधिक निर्भरता कम करने और नए अवसर प्राप्त करने के लिए पारंपरिक साझेदारियों से आगे बढ़कर कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों का विस्तार करना चाहिए।
- **उदाहरण के लिए:** व्यापार, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में यूरोप के साथ सहयोग बढ़ाना।
- **रणनीतिक लचीलापन (Strategic Flexibility):** भारत को बदलते वैश्विक शक्ति समीकरणों और विकसित होते नए भू-राजनीतिक गठबंधनों के बीच एक व्यावहारिक और हित-आधारित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
- **उदाहरण के लिए:** ब्रिक्स और क्वाड, दोनों मंचों में भारत की अहम भागीदारी है।

--:31::--

Daily Current Affairs

Date : 14 May, 2026



- **अपने रणनीतिक-हित क्षेत्रों का विस्तार:** भारत को आर्थिक और भू-राजनीतिक महत्त्व वाले उभरते क्षेत्रों के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ करना चाहिए, ताकि बाजार, संसाधन और संपर्क सुनिश्चित किए जा सकें।
- **उदाहरण के लिए:** व्यापार, क्रिटिकल मिनरल्स और विकास साझेदारी के क्षेत्रों में भारत-अफ्रीका सहयोग का बढ़ना।
- **घरेलू क्षेत्र में सुधार करना:** प्रभावी कूटनीति के लिए सुदृढ़ घरेलू अर्थव्यवस्था, तकनीकी क्षमता और संस्थागत स्तर पर सुधार आवश्यक हैं, ताकि वैश्विक अनिश्चितताओं से बेहतर तरीके से निपटा जा सके।
- **उदाहरण के लिए:** विनिर्माण, नवाचार और प्रौद्योगिकी के स्तरों पर आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

--:32:--

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

वैश्विक वन लक्ष्य (GFG) रिपोर्ट 2026

चर्चा में क्यों?

- वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2026 जारी की गई। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक कार्य विभाग तथा संयुक्त राष्ट्र वन मंच सचिवालय द्वारा तैयार की गई है।

परिदृश्य

वैश्विक वन क्षेत्र विश्व के कुल भू-क्षेत्रफल का **32%**

वन **4.14 बिलियन हेक्टेयर क्षेत्र** में विस्तृत हैं, जो प्रति व्यक्ति लगभग 0.50 हेक्टेयर के बराबर है।




29% प्राथमिक वन



8% रोपित वन

वैश्विक वन वितरण **चार प्रमुख जलवायु क्षेत्रों में संकेंद्रित है:**



54% वैश्विक वन क्षेत्रफल केवल 5 देशों में स्थित है




रूसी संघ




ब्राजील



कनाडा



संयुक्त
राज्य अमेरिका



चीन



मुख्य बिन्दु:

- इस रिपोर्ट में 2030 के लिए निर्धारित 6 वैश्विक वन लक्ष्यों (GFG) और संयुक्त राष्ट्र वन रणनीतिक योजना (2017-2030) के संबद्ध लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति का आकलन किया गया है। इस रणनीतिक योजना को UNFF के 21वें सत्र के दौरान शुरू किया गया था।

UNFF:

- वर्ष 2000 में स्थापित UNFF एक अंतर-सरकारी निकाय है। इसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य और इसकी विशेष एजेंसियों के सदस्य शामिल हैं।
- इसका उद्देश्य सभी प्रकार के वनों के प्रबंधन, संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- **वन क्षेत्रफल में कमी:** वर्ष 2015 और 2025 के बीच वैश्विक वन क्षेत्रफल में 40 मिलियन हेक्टेयर से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है।
- **वन क्षेत्र में गिरावट के प्रमुख कारक:** कृषि क्षेत्र का विस्तार, तथा ईंधन की लकड़ी और कोयले की बढ़ती मांग इसके मुख्य कारण हैं।
- **संधारणीय वन प्रबंधन में बाधाएँ:** वन प्रबंधन शासन में कमियां, भूमि स्वामित्व को लेकर अस्पष्टता, अवैध व्यापार और संस्थाओं की सीमित क्षमता प्रमुख बाधाएं हैं।
- **वन भूमि निम्नीकरण में वृद्धि:** सूखा, जंगल की आग, हीटवेव, कीटों के हमले और पौधों की बीमारियों जैसे जलवायु कारकों के कारण वन भूमि निम्नीकरण में वृद्धि देखी जा रही है।
- **वन संरक्षण हेतु वित्तपोषण की कमी:** हालांकि वर्ष 2023 में वित्तीय सहायता रिकॉर्ड 84 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गई, फिर भी यह 2030 तक प्रत्येक वर्ष आवश्यक अनुमानित 300 अरब अमेरिकी डॉलर से काफी कम है।